

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 194 / 2011

तारीख रजु 21.11.2011

### उनवान

1. गोविन्द सिंह पुत्र श्री गिरधर सिंह वगै० जाति राजपूत निवासी घौंसला तह० हिण्डौन जिला करौली

-----वादीगण 23

### बनाम

1. ईश्वर सिंह पुत्र भौरया सिंह वगै० जाति राजपूत निवासी घौंसला तह० हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 04

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 06.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दाबा ग्राम घौंसला तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 2201/2719, 2190, 2199, 2200, में हुक्म इम्तनाई दवामी का दाबा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील को बार-बार आवाज दिलाई गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दाबा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 194/2011 श्री गोविन्द सिंह बनाम ईश्वर सिंह वगै० अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन  
जिला करौली

